कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 256/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 04.07.2026

प्रेस नोट दिनांक– 04.07.2026
थाना– फूलपुर, जनपद आजमगढ़

साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर की त्वरित कार्रवाई

साइबर फ्रॉड के ₹29,997 पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

घटना का विवरण

दिनांक **18.01.2026** को शिकायतकर्ता **संजय कुमार पुत्र छोटेलाल**, निवासी ग्राम भाटिनपारा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ अज्ञात साइबर ठग द्वारा शिकायतकर्ता की पत्नी की डिलीवरी का पैसा दिलाने का झांसा देकर **Union Bank of India** के खाते से **₹29,997** की साइबर ठगी कर ली गई। इस संबंध में पीड़ित द्वारा **साइबर हेल्पलाइन 1930** एवं **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका शिकायत संख्या **33101260014231** है।

त्वरित कार्यवाही एवं धनराशि वापसी

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा संबंधित बैंक को तत्काल नोटिस प्रेषित कर ठगी की धनराशि होल्ड कराई गई। तत्पश्चात माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए पीड़ित के खाते से साइबर फ्रॉड की गई **₹29,997** की सम्पूर्ण धनराशि सकुशल वापस कराई गई।

साइबर पुलिस टीम

- उ0नि0 दयानन्द
- आरक्षी दुर्गेश विश्वकर्मा
- म0आ0 पूजा पाण्डेय

आजमगढ़ पुलिस की अपील

यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तत्काल **1930** पर कॉल करें अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत दर्ज कराने से ठगी गई धनराशि वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

प्रेस नोट दिनांक– 04.07.2026
थाना– अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

नाबालिग बालिका को बहलाफुसलाकर ले जाने के मामले का सफल अनावरण-

थाना अतरौलिया पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद कर नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार

घटना का विवरण

दिनांक **02.07.2026** को थाना अतरौलिया पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में **मु0अ0सं0 0265/2026** धारा **137(2)/87 भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **03.07.2026** को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा **सौ शैय्या अस्पताल, अतरौलिया** के पास से अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। मौके से नामजद अभियुक्त **ओमकार पुत्र भुआल निषाद** को समय करीब **23:05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग
***मु0अ0सं0 0265/2026** धारा **137(2)/87 भारतीय न्याय संहिता (BNS)** थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।*

गिरफ्तार अभियुक्त
***ओमकार पुत्र भुआल निषाद**, निवासी ग्राम दरगाह, थाना बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र लगभग 24 वर्ष।*

बरामदगी
दिनांक 03.07.2026 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा **सौ शैय्या अस्पताल, अतरौलिया** के पास से अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार
आरक्षी रविशंकर यादव
महिला आरक्षी आराधना पटेल

जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी विधिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

प्रेस नोट दिनांक– 04.07.2026
थाना– सरायमीर, जनपद आजमगढ़

नशे के सौदागरों पर आजमगढ़ पुलिस का प्रहार
50 पुड़िया)4.80 ग्रामअवैध हेरोइन के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार (
NDPS Act के तहत मुकदमा दर्ज, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

घटना का विवरण
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक **04.07.2026** को उ0नि0 हरिकेश शर्मा मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि **बीनापारा पुलिया** के पास एक व्यक्ति अवैध हेरोइन के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरणपाल सिंह को अवगत कराते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे सतर्कता एवं तत्परता से मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **वीरु सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर**, निवासी पूनापोखर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ बताया। क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरन पाल सिंह की उपस्थिति में नियमानुसार तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से **50 पुड़िया (कुल 4.80 ग्राम) अवैध हेरोइन** बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन कराया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को **धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 174/2026 धारा **8/21 एनडीपीएस एक्ट**, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त
वीरु सोनकर पुत्र महेन्द्र सोनकर, निवासी पूनापोखर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी
50 पुड़िया अवैध हेरोइन (कुल वजन 4.80 ग्राम)

आपराधिक इतिहास
अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी, चोरी की संपत्ति रखने एवं एनडीपीएस एक्ट सहित कुल **05 अभियोग** पंजीकृत हैं, जिनमें—

- मु0अ0सं0 83/2021 धारा 41/411 भा.द.वि.
- मु0अ0सं0 117/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

- मु0अ0सं0 239/2024 धारा 380/411/457 भा.द.वि.
- मु0अ0सं0 341/2024 धारा 379/411 भा.द.वि.
- मु0अ0सं0 174/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 हरिकेश शर्मा
- का0 संजीव कुमार
- रि0आ0 संदीप जायसवाल
- रि0का0 हरिश राजभर
- रि0आ0 अंकित सिंह

आजमगढ़ पुलिस जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशे के कारोबार के विरुद्ध निरंतर प्रभावी अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

प्रेस नोट दिनांक– 04.07.2026
थाना– तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार
थाना तहबरपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया
महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति आजमगढ़ पुलिस की तत्परता

घटना का विवरण

दिनांक **17.05.2026** को थाना तहबरपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में **मु0अ0सं0 76/2026**, धारा **137(2)/87 भारतीय न्याय संहिता (BNS)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 दशरथ उपाध्याय को सुपुर्द की गई तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.07.2026 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भवरनाथ मंदिर के पास से मुकदमे में वांछित अभियुक्त आयुष कुमार को समय 11:13 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 76/2026 धारा 137(2)/87 भारतीय न्याय संहिता (BNS) थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

आयुष कुमार पुत्र रामबास, निवासी थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 दशरथ उपाध्याय सिंह
- आरक्षी शिवम कुमार यादव
- महिला आरक्षी नर्वदा निषाद
- महिला आरक्षी निकिता सिंह

आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

प्रेस नोट
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 04.06.2026
'नई किरण' प्रोजेक्ट से बिखरते रिश्तों को मिला सहारा, 01 परिवार का सफलता पूर्वक समझौता कराया गया
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की सकारात्मक पहल, संवाद और समझाइश से सुलझे पारिवारिक विवाद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 04.06.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित *परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण* की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 07 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता (मिडिएशन) हेतु बुलाया गया था, जिनमें से 06 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। काउंसलिंग एवं अथक प्रयासों के उपरांत सभी 01 प्रकरणों में पक्षकारों को समझा-बुझाकर आपसी मतभेद दूर कर समझौता कराया गया।

मध्यस्थता के दौरान प्राप्त प्रकरणों में दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद, मारपीट, घरेलू कलह एवं वैवाहिक मतभेद से संबंधित शिकायतों पर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उन्हें आपसी संवाद, सहनशीलता एवं पारिवारिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। सकारात्मक वातावरण में हुई काउंसलिंग के फलस्वरूप परिवारों में पुनः सामंजस्य स्थापित हुआ।

शेष पत्रावली में दोनों पक्षों को आगामी तिथि पर उपस्थित होने हेतु नोटिस/फोन के माध्यम से सूचित कर पुनः मिडिएशन की कार्यवाही की जाएगी।

'नई किरण' प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विघटन को रोकना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना तथा परिवारों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। यह पहल न केवल परिवारों को नई दिशा प्रदान कर रही है, बल्कि पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

कुल समझौते- 01

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी-

- उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
- उ0नि0 सत्यनारायण यादव,

आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता

आजमगढ़ पुलिस का 'नई किरण' प्रोजेक्ट बिखरते परिवारों को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी एवं मानवीय पहल है।

प्रेस नोट, दिनांक : 04.07.2026
थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

☐ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर डमी पिस्टल के साथ दहशत फैलाने वाली रील पोस्ट करने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई

▶ सार्वजनिक स्थान पर डमी पिस्टल लहराते हुए बनाई थी रील, भय एवं अफवाह का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास

▶ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान वीडियो संज्ञान में आते ही सरायमीर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन चलाये जा रहे "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत जनपद में सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति, भय एवं दहशत का वातावरण बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 04.07.2026 को थाना सरायमीर पर नियुक्त उपनिरीक्षक हरिकेश शर्मा मय हमराह हेड कांस्टेबल अमेरिका यादव क्षेत्र में भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसकी तत्काल जांच ***ऑपरेशन वज्रपात*** के तहत की गई।

जांच में पाया गया कि ***अर्पित यादव पुत्र सोचन यादव, निवासी फरीदुनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष*** द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट **"SingerArpitYadav50"** पर **फरिहा रेलवे स्टेशन** जैसे सार्वजनिक स्थान पर ***डमी पिस्टल लहराते हुए*** एक रील बनाकर पोस्ट की गई थी। वीडियो में आपत्तिजनक एवं दहशत फैलाने वाले गीत के माध्यम से क्षेत्र में प्रभाव एवं भय का संदेश देने का प्रयास किया गया था।

पुलिस जांच में यह पाया गया कि उक्त वीडियो एवं पोस्ट से आमजन में भय, भ्रम एवं अफवाह का वातावरण उत्पन्न हो रहा था तथा शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा तत्काल विधिक कार्रवाई की गई।

*अभियुक्त **अर्पित यादव** को दिनांक **04.07.2026** को समय लगभग **16:00 बजे** नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।*

विधिक कार्रवाई

अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 170/135/126 बीएनएसएस** के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा रहा है।

जनपद पुलिस की अपील

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि ***सोशल मीडिया पर हथियार, डमी हथियार अथवा आपराधिक छवि प्रदर्शित करने वाली रील, पोस्ट या वीडियो प्रसारित कर समाज में भय, दहशत अथवा गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास न करें।*** ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ***"ऑपरेशन वज्रपात"*** के तहत कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 04.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र 01 अदद देशी कट्टा व 01 अदद कारतूस .315 बोर रखने के आरोप में ***जेल में बितायी गयी अवधि 34 दिवस के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

थाना तरवां में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध शस्त्र 01 अदद देशी कट्टा व 01 अदद कारतूस .315 बोर रखने के आरोप में ***जेल में बितायी गयी अवधि 34 दिवस के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

➡ दिनांक- 07.02.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान ***अभियुक्त रविन्द्र यादव उर्फ गब्बर पुत्र पूजन यादव निवासी ग्राम लखन्सीपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से** 01 अदद देशी कट्टा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर **बरामद होना ।***

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 66/2008 धारा-3/25 Arms Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 04.07.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ***अभियुक्त रविन्द्र यादव उर्फ गब्बर पुत्र पूजन यादव निवासी ग्राम लखन्सीपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि 34 दिवस के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***